



क्रमांक- 24/2017

सं० का/310/1/भाग-सात/चार

दिनांक 24-11-2017

मण्डल रेल प्रबंधक / कार्मिक,
इज्जत नगर एवं वाराणसी,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय-रनिंग संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु सी.एम.एस. एवं आई-पास को सिंक्रोनाइज करने की पद्धति।

पूर्वोत्तर रेलवे के रनिंग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु सी.एम.एस. को आई-पास से लिंक करने के लिये लखनऊ मण्डल से निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

1. कार्मिक विभाग द्वारा सभी रनिंग कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जा रहा है जिसके प्रत्येक कर्मचारी की Employee ID or No आवंटित किया जाता है।
2. Employee ID or No के आधार पर सी.एम.एस. के कू के बायोडेटा का अपडेट किया जाना आवश्यक होगा।
3. Employee ID or No के आधार पर सी.एम.एस. के कू के डेटा एवं आई-पास में कू के डेटा को मैच करा कर वैलीडेट कराया जाना आवश्यक होगा।
4. उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होते ही प्रत्येक माह की 4 तारीख को सी.एम.एस. का डेटा आई-पास को स्वतः यत्न जाता है। जिसे कार्मिक विभाग के आई-पास के एडमिन आई डी धारक द्वारा KMA, NDA, ALK, HQ, Leave Allowance, NRA, NHA, को पार्ट करा लिया जाता है।
5. उपरोक्त पोर्ट किया गया डेटा बिल वर्लक के पास Editable Mode में उपलब्ध रहता है।
6. लाबी के सी एम एस प्रभारी द्वारा कर्मचारियों के भत्तों की जांच करके आवश्यक संशोधन तथा ऐसे भत्ते जो आई-पास में पोर्ट नहीं हो रहे हैं की मैनुअल शीट बनाकर प्रत्येक माह की 10 तारीख को बिल अनुभाग को भेजा जाता है।

लखनऊ मण्डल में पालन की जा रही उपरोक्त प्रक्रिया को इज्जतनगर एवं वाराणसी मण्डल में भी लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है तदनुसार उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(यू० पी० सिंह)

उपमुकाधि/अराज.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि :-

- 1- वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (ओ एण्ड एफ) वाराणसी एवं इज्जतनगर को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर (ओ एण्ड एफ) लखनऊ को आपके पत्र संख्या यौ/519/सी.एम.एस./भाग-3 दिनांक 13.10.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

32/11/17

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक